जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
JAIPUR METRO E-mail: pro@jaipurmetrorail.in Phone No : 0141-2822265

2019/01/236–**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक :** 12.01.2019

मेट्रो रेल मार्ग के ऊपर पतंगबाजी से परहेज करें।

जयपुर, 12 जनवरी। जयपुर मेट्रो का मानसरोवर से चांदपोल के बीच 9 किलोमीटर लम्बा मार्ग रोड़ से 30 मीटर तक ऊचाँ है तथा इसके बिजली के तारो में चौबीसों घंटे 25000 वोल्ट का करंट चालू रहता है। गत वर्ष मकर संक्रान्ति की अवधि में मेट्रो रेल मार्ग के ऊपर चाईनीज एवं मेटेलिक मांझे से पतंगबाजी के कारण बिजली के तारों में अर्थ फाल्ट से 21 ट्रिपिंग हुई, 21 बार मेट्रो ट्रेने रुकी एवं ट्रेनों की छतों को भी नुकसान हुआ। अगले दिन निर्बाध मेट्रो संचालन के लिए रोजाना रात्रि में काफी मशक्कत के बाद इस अवधि में करीब 2000 उलझी एवं टूटी पतंगो तथा मांझे को विशेष प्रशिक्षित टीम से हटवाया गया।

परिचालन एवं प्रणाली निदेशक श्री एम.के. सिंघल ने बताया कि यदि पतगंबाजी के दौरान मांझा इन बिजली के तारों में उलझ जाये तो करंट इस मांझो से सीधे ही पतंग उड़ाने वाले तक पहुंच कर खतरनाक व जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस आयुक्त एवं कलेक्टर जयपुर ने भी इस अवधि में चाईनीज एवं मेटेलिक मांझे के उपयोग पर रोक लगाते हुए, अवहेलना करने वालो के खिलाफ पुलिस एवं कानूनी कार्यवाही के निर्देश जारी किये है।

जयपुर के नागरिको को मेट्रो रुट पर पतंगबाजी के कारण किसी भी दुर्घटना एवं अनहोनी का सामना नही करना पड़े तथा मेट्रो संचालन भी सुचारु रह सके इसके लिए प्रोएक्टिव कार्यवाही के तहत् 2 जनवरी से मेट्रो स्टाफ द्वारा मेट्रो रुट पर पड़ने वाले करीब 2000 घरों के रहवासियों को केवल मेट्रो रेल मार्ग के ऊपर पतंगबाजी से परहेज करने के लिए पेम्पलेट तथा मौखिक समझाइश द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन चालको एवं स्टेशन स्टाफ को भी निर्देशित किया गया है कि यदि मेट्रो रेल मार्ग के ऊपर पतंगबाजी दिखे तो सूचित करें ताकि विशेष अभियान टीम वहाँ जाकर पतंगबाजी करने वालो से इसे रोकने हेतु निवेदन कर सकें।

जनसम्पर्क अधिकारी